न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना, जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या 154 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
विक्रमसिंह पुत्र मंगलसिंह कौम राजपूत निवासी जीनपुर तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर		1. जोगसिंह 2. भोपालसिंह 3. सांगसिंह पि. आम्बसिंह 4. श्रीमती छगन कंवर पत्नी देवीसिंह 5. जेठूसिंह 6. डूंगरसिंह 7. हरीसिंह पि. देवी सिंह 8. छेलसिंह पुत्र खीमसिंह 9. श्रीमती जड़ाव कंवर पत्नी खीमसिंह 10. सुरेन्द्रसिंह पुत्र खीमसिंह 11. हीरसिंह पुत्र मोडसिंह कौम राजपूत निवासी जीनपुर तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर . 12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना 13. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोकलसर

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित– 1. श्री ललित जांगिड़ वकील प्रार्थी
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 3 स्वयं
3. श्री कैलाश पुरी गोस्वामी वकील विप्रार्थी संख्या 6
4. विप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार सिवाना स्वयं 5
5. शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–: आदेश :– दिनांक – 02.9.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 277 रकबा 1.2707 हैक्टेयर ग्राम जीनपुर तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर खातेदार कदीमी रूप में काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी के खातेदारी खेत से ग्राम की आबादी भूमि खसरा संख्या 248, जहां प्रार्थी की रहवासी ढाणी है, तक आवागमन के लिए खसरा संख्या 277 के खातेदारान को विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 259 रकबा 0.5261 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 4 से 11 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 256 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्त, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नज़री नक्शे में बरंग लाल से दरसाया गया है, से होकर गुजरना इकलौता विकल्प है, जिसका विगत 100 वर्षों से प्रार्थी पक्ष एवं उनके पूर्वजों द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में विप्रार्थी संख्या 1 से 11 की खातेदारी में दर्ज होने से वे रास्ते में पत्थर व कांटे डालकर रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे प्रार्थी पक्ष को कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर ट्रोली, बैलगाड़ी एवं कृषि उपकरण अपनी ढाणी से खेत तक लाने–लेजाने में बाधा उत्पन्न होती है। अतः प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत से गैरमुमकिन आबादी में अवस्थित अपनी ढाणी तक आवागमन के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि गैरमुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रिकॉर्ड एवं लट्ठा नक्शा में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई एवं तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में मय नक्शा मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी वकील ने अपने

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

आवेदन के संलग्न प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, विवादित भूमि की जमाबंदियां एवं विवादित भूमि का लट्ठा नक्शा प्रस्तुत किया।

विप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 259 में से तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित 0.04 बीघा (4 विस्वा) भूमि गैरमुमकिन रास्ते के रूप में, बिना किसी क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के, सरकारी खाते में दर्ज किए जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

विप्रार्थी संख्या 6 ने तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से आपत्ति व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने जानबूझकर विप्रार्थी संख्या 4 से 11 के खेत को खराब करने की नीयत से उनके खातेदारी खेत में से रास्ते की मांग की है, जबकि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 277 से गैरमुमकिन आबादी खसरा संख्या 248 तक पहुंचने के लिए खसरा संख्या 262, 263, 265, 266 व 251 में से सुगम व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 281 व 280 की सीमा में दक्षिणी माठ से लगता अन्य रास्ता भी उपलब्ध है। निरीक्षक भू अभिलेख, पादरू ने भी बिना वस्तु स्थिति पर विचार किए प्रार्थी के कहे मुताबिक मौका फर्द में रास्ता प्रस्तावित कर दिया है। अंत में उन्होंने किसी ईमानदार भू अभिलेख निरीक्षक से वैकल्पिक रास्ते के अनुसरण में पुनः मौका रिपोर्ट तलब किए जाने की मांग की।

हमने दोनों पक्षों की मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी।

वकील प्रार्थी की बहस है कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 277 से गैरमुमकिन आबादी खसरा संख्या 248 तक आवागमन एवं कृषि संयंत्रों के परिवहन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 11 के खातेदारी खेतों खसरा संख्या 259 व 256 में से पीढियों से प्रचलित रास्ता सबसे निकटतम व सुविधाजनक है, जिसकी उसे आत्यंतिक आवश्यकता है। विप्रार्थी संख्या 4 से 11 द्वारा उक्त रास्ता अपनी खातेदारी में होने से कांटों की बाड़ एवं पत्थर डालकर अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे प्रार्थी पक्ष को आवगमन की विकट समस्या हो जाती है। अतः उक्त प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं लट्ठा नक्शा में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 6 की बहस है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य पड़ौसी खसरों में से रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद उन्होंने जानबूझकर विप्रार्थी संख्या 4 से 11 को परेशान करने के लिए खसरा संख्या 256 में से रास्ते की मांग की है। अतः अन्य विकल्पों को मद्देनजर रखते हुए किसी अन्य निरीक्षक भू अभिलेख के मौका रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को निर्देशित किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट तथा विप्रार्थी संख्या 6 द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र व उसके संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट ब का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। कृषि भूमि से सड़क मार्ग अथवा खातेदारान के रहवास तक रास्ता उपलब्ध करवाने के पीछे राज्य सरकार की मंशा है कि प्रस्तावित रास्ता निकटतम हो, प्रचलित हो तथा खातेदारान के आवागमन के लिए इकलौता विकल्प हो एवं जिसकी उन्हें आत्यंतिक आवश्यकता हो। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित एवं निरीक्षक भू अभिलेख, पादरू द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के लिए हर दृष्टि से उपयुक्त एवं अपेक्षाकृत निकटतम है तथा उसकी उसे आत्यंतिक आवश्यकता है। जहां तक विप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र के संलगन प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट ब में सुझाए गए वैकल्पिक रास्तों का प्रश्न है, वे मौके पर प्रचलित नहीं हैं और अपेक्षाकृत ज्यादा दूरी के हैं तथा वैकल्पिक रास्ते के खातेदार उक्त आवेदन में पक्षकार नहीं होने से उक्त रास्तों पर विचार किए जाने का कोई औचित्य

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)

नहीं है, क्योंकि न्याय का यह नैसर्गिक सिद्धांत है बिना विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर दिए किसी के भी विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही हर दृष्टि से उपयुक्त होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में विप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र औचित्यविहीन होने से खारिज किया जाता है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माफिक तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जीनपुर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 277 रकबा 1.2707 हैक्टेयर भूमि से खसरा संख्या 248 गैरमुमकिन आबादी तक प्रार्थी पक्ष के आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 259 रकबा 0.5261 हैक्टेयर में से 2 गुना 40 गट्ठा, जिसका रकबा 4 विस्वा होगा तथा विप्रार्थी संख्या 4 से 11 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 256 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में से 2 गुना 90 गट्ठा, जिसका रकबा 9 विस्वा होगा, रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। चूंकि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा बिना प्रतिफल लिए अपनी खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि दिए जाने हेतु सहमति प्रदान की है और शेष प्रभावित खातेदारान को उनकी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले प्रतिफल के रूप में डीएलसी दर की दुगुनी राशि दी जानी है। विप्रार्थी संख्या 4 से 11 की खातेदारी भूमि की डीएलसी दर 72,673 रुपये है। अतः विप्रार्थी संख्या 4 से 11 को रास्ते में प्रभावित होने वाली उनकी 9 विस्वा भूमि के लिए उन्हें प्रार्थी से 65,406 रुपये दिलवाए जाने हैं। अतः प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 4 से 11 को रास्ते के बदले देय क्षतिपूर्ति राशि 65,406 रुपये राजकोष में जमा करवाए जाने पर तहसीलदार सिवाना को रास्ते में घोषित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में अमलदरामद तथा लट्ठा ट्रैस में तदनुसार तरमीम सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक–राजस्व/2022/435 दिनांक 12.04.2022 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिवाना विप्रार्थी संख्या 4 से 11 को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान उनके वास्तविक हिस्सानुसार करें।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाडमेर)

आदेश आज दिनांक 02.9.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाडमेर)

नक्शा किश्तवार (आंशिक)
मौजा जोनपुर
तहसील सिवाना जिला-बाड़मेर
पैमाना 1"=80 कदम

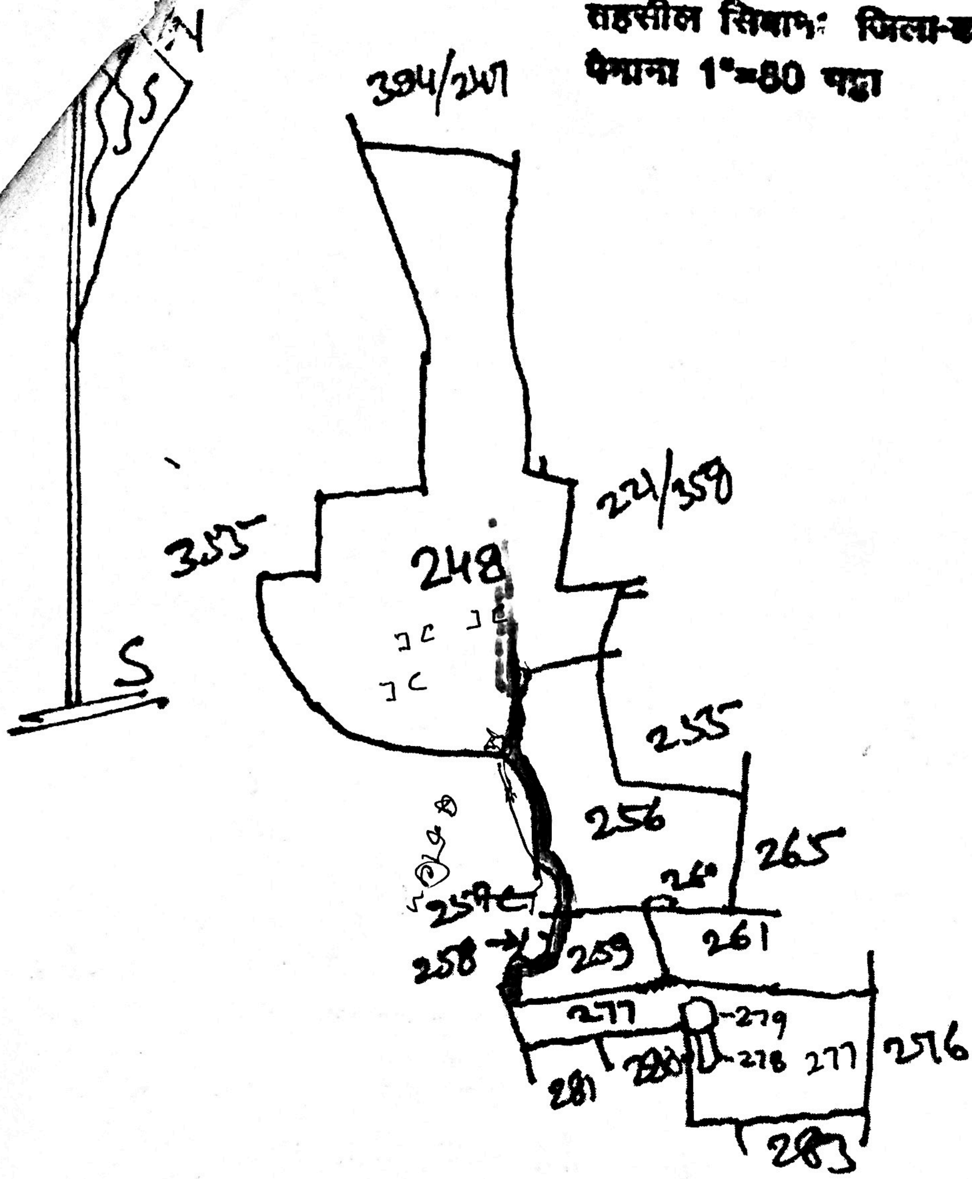

Excourt

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)
2/9/22

संकेत · राजकीय कार्य हेतु नि! जारी की गई।

प्रस्तावित रास्ता

आबादी के अन्दर बना रास्ता

विक्रम सिंह

भोपासिंह सोगसिंह

25/03/2022
पटवारी सेला

मूल सिंह

25/03/2022
पटवारी सेला